कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित **श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी **सर्वश्री जे0सी0एल0 इन्फ्रा लिमिटेड, 8, इण्डस्ट्रियल एरिया, परतापुर, मेरठ।**

प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक **004 / 15, 18.02.2015**
प्रार्थी की ओर से **कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री जे0सी0एल0 इन्फ्रा लिमिटेड, 8, इण्डस्ट्रियल एरिया, परतापुर, मेरठ द्वारा दिनांक 18.02.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा गड़र ब्रिज पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 04.10.2016 के लिए नोटिस भेजी गयी। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन मेरठ के पत्र संख्या-304, दिनांक 16.05.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा लोहे की प्लेट आदि को वेल्ड करके वेल्डिंग फैब्रीकेटिड स्ट्रेक्चर का कारोबार किया जाता है। व्यापारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में वाहन संख्या-HR-55K / 8471 से परिवहित प्रपत्रों की जॉच सचल दल इकाई द्वारा दिनांक 01.10.2014 को की गयी, जॉच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया है कि व्यापारी द्वारा लोहे की प्लेट आदि को वेल्ड करके फैब्रीकेटिड स्टील स्ट्रेक्चर वाहन में लोड पाया गया। जबकि प्रपत्रों में व्यापारी द्वारा आयरन स्टील दर्शित की गयी। वेल्डिंग फैब्रीकेटिड स्टील स्ट्रैक्चर पर कर की देयता अवर्गीकृत वस्तु की भॉति है। परन्तु व्यापारी द्वारा प्रपत्रों में आयरन स्टील दर्शित करते हुए परिवहन किया जाना पाया गया। अत: जॉच अधिकारी ने माल की कीमत पर रु0 3,71,000/- जमानत व्यापारी से जमा करायी गयी। तदनुसार जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-48 (5) के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए रु0 3,71,000/- का अर्थदण्ड आदेश पारित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यापारी द्वारा दाखिल रूपपत्र-24 की कर विवरणी में बिक्री की गयी वस्तु आयरन स्टील दर्शित करते हुए 4% की दर से करदेयता स्वीकार की गयी। प्राप्त सूचना के आधार पर व्यापारी द्वारा आयरन स्टील के स्थान पर फैब्रीकेटिड स्टील स्ट्रेक्चर की बिक्री किया जाना प्रकाश में आने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी के दाखिल रूपपत्र-24 व व्यापारी द्वारा घोषित वस्तु आयरन स्टील को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माह-अक्टूबर, 2014 के कर विवरणी पर अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही दिनांक 27.02.2015 को करते हुए फैब्रीकेटिड स्टील स्ट्रेक्चर पर अवर्गीकृत वस्तु की

...2

भॉति प्रान्त में रु0 7,12,947/- तथा केन्द्र में रु0 8,27,444/- कर आरोपित किया गया।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में निहित विधिक प्राविधान कि कोई प्रश्न, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो, इस धारा के अधीन विनिश्चय के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा।

व्यापारी द्वारा माननीय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष दिनांक 10.02.2015 को प्रस्तुत धारा-59 का प्रार्थना-पत्र विधि ग्राह्य नहीं है, क्योंकि व्यापारी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत माननीय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के समक्ष जिन विवादित बिन्दुओं को सन्दर्भित किया गया है। सन्दर्भित किये गये विवादित बिन्दु पर पूर्व में ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी को नोटिस जारी की गयी है तथा दिनांक 09.01.2015 को अर्थदण्ड आदेश भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया जा चुका है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत मामले में प्रार्थी द्वारा संगत वर्ष हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष रूपपत्र दाखिल किया जा चुका है एवं माह-अक्टूबर, 2014 हेतु इसी बिन्दु पर अस्थायी कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सुव्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अत: प्रश्नगत प्रश्न का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रार्थी के मामले में माह-अक्टूबर, 2014 हेतु अस्थायी कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है जिसमें से यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) के अन्तर्गत भी प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है एवं तद्नुसार आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रश्नगत मामले में प्रार्थी द्वारा संगत वर्ष हेतु स्वयं कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष रूपपत्र दाखिल किया जा चुका है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है। उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में यह व्यवस्था है कि No question which arises from an order already passed, in the case of applicant by any authority under this Act or the Tribunal, shall be entertained for determination under this section. क्योंकि प्रश्नगत प्रश्न प्रार्थी के वाद में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न हुआ है। अत: उक्त प्राविधानों के

...3

परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रश्न विनिश्चय हेतु ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

ह0 / 24.10.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।